प्रेस नोट **दिनांक 21.01.2026**

ताजोपुर ग्राम मे हुयी घटना से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना मे प्रयुक्त बोलेरो वाहन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 जनमेजय शर्मा , हे0का0 शिवशंकर , का0 जय प्रकाश द्विवेदी , का0 राहुल यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2026 धारा 103(1)/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाछिंत 01 नफर अभियुक्त राजन राजभर पुत्र राजेश राजभर उर्फ जब्बर निवासी ताजोपुर पश्चिमपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को दिनांक 21.01.2026 को गाजीपुर बार्डर पुलिया के पास समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन चार पहिया बोलेरो वाहन संख्या UP54AE4506 सैनिक स्कूल ताजोपुर से बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त -

1.राजन राजभर पुत्र राजेश राजभर उर्फ जब्बर निवासी ताजोपुर पश्चिमपुरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

अभियोंग का विवरण-

मु0अ0सं0 24/2026 धारा 103(1)/115(2) बीएनएस थाना स0ल0 मऊ

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त वाहन चार पहिया बोलेरो वाहन संख्या UP54AE4506

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उजनमेजय शर्मा 0नि0
2. हे शिवशंकर 0का0
3. का जय प्रकाश द्विवेदी 0
4. का राहुल यादव 0

गैगेस्टर एक्ट मे वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक घनश्याम यादव मय हमराह उ0नि0 श्री गिरजाशंकर यादव ,हे0का0 मो0 अकमल व का0 जंग बहादुर वर्मा द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2026 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित गैगेस्टर एक्ट मे वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गण 1. दीपक गुप्ता उर्फ आकाश गुप्ता पुत्र अमरजीत गुप्ता निवासी मजखनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 2. सोनू ठठेरा उर्फ सोनू शिल्पकार पुत्र नथुनी ठठेरा उर्फ राजीव प्रसाद निवासी बड़हलगंज थाना जीयनपुर आजमगढ हाल पता पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को दिनांक 21.01.2026 को बढुआ गोदाम कटरा तिराहे के पास समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त गण संगठित गिरोह कायम करके अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गैंग रेप तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर फिरौती जैसे अपराध कर अवैध धन का अर्जन करने करते है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण –

1. दीपक गुप्ता उर्फ आकाश गुप्ता पुत्र अमरजीत गुप्ता निवासी मजखनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब वर्ष 23
2. सोनू ठठेरा उर्फ सोनू शिल्पकार पुत्र नथुनी ठठेरा उर्फ राजीव प्रसाद निवासी बड़हलगंज थाना जीयनपुर आजमगढ हाल पता पिपरीडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ वर्ष 20

अभियुक्त दीपक गुप्ता का अपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु305 0सं0अ0/70 धारा 25(2)/115(2)/308(5)/151(3),61(2) बीएनएस व 3(2)V SC ST ACT व 67IT ACT व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ
2. मु25 0सं0अ0/2 धारा 26/3(1) उथाना सरायलखन्सी मऊ 0गैंगेस्टर अधि 0प्र0

अभियुक्त सोनू ठठेरा का अपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु305 0सं0अ0/70 धारा 25(2)/115(2)/308)5/(151)3(,61(2) बीएनएस व 3(2)V SC ST ACT व 67IT ACT व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना सरायलखंसी मऊ

2. मु25 0सं0अ0/2 धारा 26/3(1) उथाना सरायलखन्सी मऊ 0गैंगेस्टर अधि 0प्र0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- निरीक्षक घनश्याम यादव
2- उ0नि0 श्री गिरजाशंकर यादव
3- हे0का0 मो0 अकमल
4- का0 जंग बहादुर वर्मा

अपहरण से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येवक्षं में क्षेत्राधिकारी श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में आज दिनांक 21.01.2026 थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मऊ के पास से मु0अ0स0 430/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र मूरत राजभर निवासी शिवरा थाना काशिमाबाद जनपद गाजीपुर के गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण –

1. विशाल राजभर पुत्र मूरत राजभर निवासी शिवरा थाना काशिमाबाद जनपद गाजीपुर

अभियोंग का विवरण-

1. मु430 0स0अ0/137 धारा 25(2) ,87 बीएनएस

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में दिनांक 21.01.206 विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. अरबिन्द पुत्र रामरुप, 2. अमित पुत्र नन्दू निवासीगण पियुवाताल 3. कुसहर पुत्र नवमी निवासी पूनापार तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शुभम यादव पुत्र शिव यादव निवासी चचईपार थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सार्थक

प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये), पीडित खुर्शीद कमाल पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी वालीदपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. क0आ0 संजय गुप्ता थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
2. म0आ0 शालिनी मौर्य थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
3. म0आ0प्रिया सिंह थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।